राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1276 / 2025

सत्यपाल सिंह

–अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक, (अराजपत्रित) एवं अति0 निदेशक (प्रशासन) पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर।
4. चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी, जिला अस्पताल, लक्ष्मणगढ़, सीकर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.01.2025
आदेश की दिनांक : 18.02.2025

अपीलार्थी की ओर से : श्री कुलदीप सिंह, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग के पद पर कार्यरत है। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण क्रम संख्या 393 पर जिला अस्पताल लक्ष्मणगढ, जिला सीकर से उप जिला चिकित्सालय, देचू, जिला–फलोदी में किया गया है। (अनुलग्नक–1) प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) में अपीलार्थी का नाम सत्यपाल सिंह थालोड अंकित किया है जबकि अपीलार्थी का वास्तविक एवं सेवा रिकार्ड के अनुसार केवल सत्यपाल सिंह है। जबकि अपीलार्थी सत्यपाल सिंह थालोड नहीं है। प्रत्यर्थी संख्या 4 अपीलार्थी को सत्यपाल सिंह थालोड के स्थान पर कार्यमुक्त करने हेतु आतुर व तत्पर हैं। इससे स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा बिना मस्तिष्क के प्रयोग के अपीलार्थी का स्थानांतरण किया है। उक्त आलोच्य आदेश Non Application of mind की श्रेणी में आता है, जो अपीलार्थी की हद तक अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी के समान प्रकृति के मामले में माननीय अधिकरण द्वारा अपील संख्या 564 / 2024 कमलजीत सिंह बनाम निदेशक, पशुपालन विभाग व अन्य में अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश दिनांक 19.02.

2024 के द्वारा टाटनवा, तहसील धोंद जिला सीकर से उपकेन्द्र भैंसवाडा, जालौर में पशुधन सहायक के रूप में किया गया था। जिसमें अपीलार्थी का नाम गलत अंकित किये जाने पर बिना विवेक का प्रयोग किये आदेश जारी किया जाना मानते हुये अपने आदेश दिनांक 14.3.2024 (अनुलग्नक–2) द्वारा आलोच्य आदेश 19.2.2024 के क्रियान्वयन को अपीलार्थी की हद तक स्थगित किया गया है। इसी प्रकार के प्रकरण में अधिकरण द्वारा अपील संख्या 1437/2024 मानसिंह बनाम पशुपालन विभाग व अन्य के मामले में गलत नाम के आधार पर आलोच्य स्थानांतरण आदेश को स्थगित किया गया है। (अनुलग्नक–3,4 व 5) अपीलार्थी को सीकर जिले से फलोदी जिले में स्थानांतरण किया गया है। लेकिन स्थानांतरण करने से पूर्व प्रत्यर्थी विभाग द्वारा राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम 2011 के नियम 8 (3) के तहत पंचायती राज विभाग की कोई सहमति नहीं ली गई। उक्त आलोच्य आदेश राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम 2011 के नियम 8(3) की सरासर उल्लंघना करते हुये पारित किया गया है। इस संबंध में अधिकरण द्वारा प्रकरण संख्या 563/2024 श्रवणी देवी यादव बनाम आयक्त कृषि आयुक्तालय, जयपर एवं अन्य के मामले में आदेश दिनांक 7.3.2024 द्वारा राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित कियाकलाप) नियम 2011 के नियम 8(3) का उल्लंघन मानते हुये स्थानांतरण आदेश को स्थगित किया गया है। (अनुलग्नक–6) लेकिन अपीलार्थी के स्थान पर किसी भी कार्मिक को पदस्थापित/स्थानांतरित नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन से करीब 300 किलोमीटर की दूरी पर बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के किया गया है जबकि लक्ष्मणगढ अस्पताल, जिला सीकर में ही नर्सिंग ऑफिसर के 45 पद स्वीकृत है जिनमें से 40 पद भरे हुये तथा 5 पद रिक्त चल रहे हैं तथा सीकर जिले में नर्सिंग आफिसर के बहुत से पद रिक्त चल रहे हैं। अपीलार्थी के माता–पिता वृद्धावस्था में है तथा गंभीर बीमारियों से पीड़ित है, जिनका लक्ष्मणगढ व सीकर जिला में इलाज चल रहा है, जिनके देखभाल करने वाला अपीलार्थी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। ऐसे में अपीलार्थी के उक्त स्थानांतरण से अपीलार्थी का पूरा परिवार प्रभावित होगा।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के संबंध में जारी आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापित स्थान पर ही निरंतर कार्यरत रखा जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि

वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है। अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों / दिशा–निर्देशों / परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकरण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को किसी विशिष्ट तरीके से निस्तारित करने के संबंध में कोई आदेश नहीं दे रहा है।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य